

तारिख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनाशयल्स जज

अं० १७

पन्नावली पेशा हुके) वकील वादी हाजिरे
मठी। वादी आधिकारता व वादी स्वयं
हाजिर मठी। वादी व आधिकारता को
बार-बार आवाप लगायी गई) अ लो
वादी स्वयं हाजिर हुमा तथा ना ही
वादी की कोट से आधिकारता हाजिर
हुके) उक्त वादी वा वाद उक्त
हाजरी इदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पन्नावली फेंकल सुमाट होकर
नम्बर से कम की बाद नाकिल तमके
हाजिर इतर के कादेवा शुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी